| | राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | ज्येष्ठ 26, शुक्रवार, *शाके* 1945-जून 16, 2023<br>*Jyaistha 26, Friday , Saka 1945- June 16, 2023* | |

**भाग 6 (ख)**

**जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।**


## कार्यालय नगर निगम जोधपुर (उत्तर)

## अधिसूचना

## जोधपुर, जून 14, 2023

## नगर निगम जोधपुर उत्तर (विवाह एवं समारोह स्थल का पंजीयन) उपविधि 2023

**संख्या 5379** :-नगर निगम जोधपुर उत्तर निकाय क्षेत्र में विवाह एवं समारोह स्थल में आमजन को होने वाली असुविधा एवं निकाय द्वारा संपादित सेवाओं में बढ़ते दबाव के कारण विवाह एवं समारोह स्थलों के संचालन के नियंत्रण हेतु जनहित में उपविधि बनाया जाना आवश्यक हो गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी याचिका संख्या एकलपीठ दीवानी याचिका संख्या 7275/06 श्री राजकुमार ताया बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 1.4.08 को इस संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया गया था। अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 340 (यझ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम जोधपुर उत्तर निम्न लिखित उपविधि बनाती है:-

**1. शीर्षक सीमा एवं प्रभाव:-**

(क) ये उपविधि नगर निगम जोधपुर उत्तर (विवाह एवं समारोह स्थल का पंजीयन) उपविधि 2023 कहलायेगे।

(ख) ये उपविधि तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी।

(ग) ये उपविधि नगर निगम जोधपुर उत्तर की स्थानिय सीमा में प्रभावशील होगी।

**2. परिभाषाएं :-**

जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न हो, इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार होगी:

**i. 'अधिनियम'** से तात्पर्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 (वर्ष 2009 का अधिनियम संख्या 18) से है।

**ii. 'समिति'** से तात्पर्य नगर निगम जोधपुर उत्तर द्वारा धारा 55 के अन्तर्गत गठित समिति से है।

**iii.'स्थानीय निकाय'** से तात्पर्य नगर निगम जोधपुर उत्तर से है।

**iv. 'उपयोग व उपभोग अनुमति**' से तात्पर्य विवाह एवं समारोह स्थल पर इन उपविधियों के अन्तर्गत उपविधि 2 के खण्ड (VII) में वर्णित उपयोगों हेतु दी जाने अनुमति (अनुज्ञा पत्र) से है।

**v. 'अनुमति प्राप्तकर्ता'** से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत विवाह एवं समारोह स्थल पंजीयन की अनुमति (अनुज्ञा पत्र) प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है, इसमें इनका अभिकर्ता, प्रतिनिधि एवं अन्य कर्त्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित होगा।

**vi. 'अधिकृत/प्राधिकृत अधिकारी'** से तात्पर्य आयुक्त द्वारा निर्धारित किये गये प्राधिकृत अधिकारी से है जो उपायुक्त से कनिष्ठ स्तर का नही होगा, अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उपविधियों के अन्तर्गत विवाह एवं समारोह स्थल की अनुमति (अनुज्ञा) एवं संचालन की क्रियान्विति सुनिश्चित की जावेगी।

**vii. 'विवाह एवं समारोह स्थल'** से तात्पर्य नगर निगम जोधपुर उत्तर की सीमा में स्थित ऐसे समस्त भूखण्डों/फार्म हाउस (अकृषि) /सामुदायिक केन्द्रो/ समाज के भवनों/न्याति नोहरो/भवनो/ क्लबों/ बैंक्वट हॉल इत्यादि से है जो सगाई/शादी/जन्मदिवस एवं अन्य प्रकार के सामाजिक समारोह / उत्सव / प्रदर्शनी / कन्वेंशन /गरबा उत्सव/नववर्ष आयोजन इत्यादि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाते है।

**viii. 'प्रपत्र'** से तात्पर्य इन उपविधि के साथ संलग्न प्रपत्र से है जो शब्द यहां परिभाषित नहीं किये है परन्तु प्रयुक्त किये गये हैं उनका वही अर्थ लिया जायेगा जो उनके संबंध में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में समनुदेशित किया गया है।

**3. निषेध :-**

नगर निगम जोधपुर उत्तर की सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्थानं, कम्पनी स्थानीय निकाय की अनुमति (अनुज्ञा) प्राप्त किये बिना नगर निगम जोधपुर उत्तर (विवाह समारोह स्थल पंजीयन) उपविधि 2023 के तहत पंजिकृत विवाह एवं सामरोह स्थल के अलावा अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं कर सकेगा। अन्य उपयोग करने पर नियमानुसार अनुमति (अनुज्ञा) प्राप्त करनी होगी अन्यथा अनुज्ञा-पत्र अवैध मानकर कार्यवाही की जावेगी।

**4. अनुज्ञा-पत्र प्राप्ति की प्रणाली :-**

कोई भी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी जो नगर निगम जोधपुर उत्तर सीमा में स्थित भूखण्ड/भवन/फार्म हाउस (अकृषि) का उपयोग विवाह एवं समारोह स्थल के लिए करना चाहता है अथवा इन उपविधयों के लागू होने से पूर्व स्थल का उपयोग कर रहा है तो उपरोक्त प्रयोजनार्थ किया जा रहा है तो उसे :-

I. निर्धारित प्रपत्र 'क' में आवेदन करना होगा।

ii. विवाह एवं समारोह स्थल का कम्प्युटराईज्ड ले-आउट प्लान संलग्न करना होगा तथा उसके संबंध में निम्न विवरण देना अनिवार्य होगा:-

**(क)** महिला व पुरूष के लिये भवन विनियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पर्याप्त शौचालय व मूत्रालय।

**(ख)** भवन विनियमों में निर्धारित अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था।

(ग) आवेदित स्थल की कुल व्यक्तियों की समाहित करने की क्षमता ।

(घ) आने व जाने के दो रास्ते (सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य) अगर वर्तमान मे आवेदित स्थल पर आने जाने का एक ही रास्ता उपलब्ध है तो आवेदनकर्ता को आवेदन करने से पूर्व दूसरा रास्ते की व्यवस्था की जाकर ही आवेदन किया जा सकेगा।

(ङ) विवाह समारोह के स्थल के लिये न्यूनतम 25 प्रतिशत पार्किंग की अनिवार्यता के साथ सड़क की चोड़ाई न्यूनतम 40 फीट एवं न्यूनतम 35 प्रतिशत पार्किंग की अनिवार्यता के साथ सड़क चोड़ाई न्यूनतम 30 फीट होना अनिवार्य होगा। 30 फीट सड़क पर स्थित विवाह स्थल जो पहले से उपयोग में आ रहें परन्तु सड़क की चोड़ाई के कारण उनका पंजीयन नहीं हो पाया उन्ही विवाह स्थलों का पंजीयन इन उपविधियो के तहत होगा। 30 फीट चौड़ी सड़क पर किसी भी नये विवाह स्थल का पंजीयन नहीं किया जा सकेगा । सार्वजनिक सामुदायिक केन्द्रों के संबंध में विवाह एवं समारोह स्थल के संदर्भ में समिति रोड़ चोड़ाई हेतु अग्निशमन वाहन के आवगमन को मद्देनजर रखते हुए छूट प्रदान कर सकेगी।

**(च)** कचरा संग्रह की व्यवस्था तथा गंदे पानी के निष्कासन की व्यवस्था।

**(छ)** बिजली व पानी की पर्याप्त व्यवस्था तथा इमरजेन्सी लाईट।

**(ज)** वाटर हारवेस्टिंग ।

**(झ)** हलवाई/कैटरिंग/अग्नि स्थान जहां भोजन तैयार करने की व्यवस्था की जानी है आवेदित स्थल पर विकसित वृक्षारोपण, पार्क, लैण्डस्केपिंग इत्यादि का विवरण प्रस्तावित आवेदित स्थल पर लिये गये विद्युत कनेक्शन भार का विवरण मय अतिरिक्त जनरेटर रूम व्यवस्था, आतिशबाजी के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान का इंगतिकरण इत्यादि।

(ञ) विवाह व समारोह स्थल के संचालक को प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पार्किंग व्यवस्था हेतु यातायात विभाग का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद संचालक द्वारा विवाह एवं समारोह स्थल में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता हैं तो उन्हे यातायात विभाग से पुनः अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा यातायात विभाग/नगर निगम जोधपुर उत्तर के प्राधिकृत अधिकारी या उनके प्रतिनिधि द्वारा विवाह एवं समारोह स्थल के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पूर्व में यातायात विभाग के द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के समय के विवाह व समारोह स्थल में किसी भी प्रकार का बदलाव पाया जाता हैं तो उस विवाह व समारोह स्थल के यातायात विभाग द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र को स्वतः निरस्त माना जाकर विवाह व समारोह स्थल के अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं पूर्व में जमा किसी भी राशि को वापस नहीं लौटाया जायेगा।

**(ट)** नगर निगम जोधपुर उत्तर क्षेत्र स्थित विवाह एवं समारोह को जेनरेटर इस प्रकार लगाने होगे जिससे आम जनता को किसी प्रकार के असुविधा न हो एवं उससे किसी प्रकार का वायु व ध्वनि प्रदुषण न हो ।

**(ठ)** ऐसे भुखण्ड/भवन जिनका रूपानंतरण/आवंटन व्यावसायिक/पर्यटन/संस्थानिक प्रयोजनार्थ किया गया हैं परन्तु आवंटन की शर्तो में भूखण्ड/भवन उपयोग उपविधि 2 के खण्ड (VI) में दर्शाये गये विभिन्न समाजिक प्रयोजनार्थ को सम्मिलित नहीं किया गया हैं तो ऐसे समस्त भूखण्डधारी/भवन मालिक को भी ''विवाह एवं समारोह स्थल'' पंजीयन एवं अन्य निर्धारित शुल्क दिया जाना अनिवार्य होगा।

iii. संबंधित भूखण्ड के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

iv. यदि उपयोगकर्ता किरायेदार है तो उसे स्थल के मालिक से लिखित में हुए इकरारनामा एवं एम.ओ. यू/अन्य कानूनी दस्तावेज, जिसके तहत निर्धारित स्थल का उपयोग किया जा रहा है कि नोटेराईज्ड प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी एवं विवाह एवं समारोह स्थल की अधिसूचना (भूखण्ड/भवन मालिक की सहमति सहित) के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो का उसके द्वारा अक्षरशः पालना किया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु 10/- रू. का ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

समस्त वांछित औपचारिकतायें पूरी करने के पश्चात् नगर निगम जोधपुर उत्तर के अधिकृत प्राधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा आवेदित स्थल की जांच की जाकर अनुमति (अनुज्ञा-पत्र) दिये जाने अथवा नही दिये जाने का निर्णय लिया जाकर आवेदनकर्ता को सूचित किया जा सकेगा।

**5. प्रक्रिया:-**

अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पहली बार विवाह एवं समारोह स्थल पंजीयन की अनुमति देने से पूर्व सार्वजनिक विज्ञप्ति राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में आवेदनकर्ता के व्यय पर प्रकाशित करवायी जावेगी। 15 दिवस में आपत्ति प्राप्त न होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तो को पूर्ण करने के पश्चात् विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग व उपभोग) पंजियन जारी किया जा सकेगा। यदि आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्तिकर्ता की सुनवायी की जाकर प्रकरण का निस्तारण आयुक्त/उपायुक्त या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

**6. भूमि/भवन स्वामित्व की जांच:-**

यदि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में वांछित दस्तावेज संलग्न नही किये गये हो या वांछित दस्तावेज जांच में सही नही पाये जावे तो उपविधि 4 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ जमा करवाई गई विवाह एवं समारोह स्थल पंजीयन प्रोसेसिंग शुल्क की राशि को लौटाया नही जावेगा। आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र अस्वीकार करने का कारण स्पष्ट करते हुए लिखित में सूचित करना आवश्यक होगा।

**7. अपील:-**

विवाह एवं समारोह स्थल के लिये आवेदनकर्ता के आवेदन को किसी कारण अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अस्वीकार पत्र जारी करने के 60 दिवस में इसकी अपील राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 में गठित समिति अथवा इस प्रयोजन से अधिकृत समिति में की जा सकेगी।

**8. आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने की समय सीमा:-**

नगर निगम जोधपुर उत्तर द्वारा अनुमति प्राप्तकर्ता से सम्पूर्ण आवेदन पत्र मय वांछित दस्तावेज प्राप्त होने की 30 दिवस की अवधि में स्वीकृत/अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। निर्धारित समय की अवधि में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन की स्वीकृत/अस्वीकृत के संबंध में निर्णय नहीं लिये जाने पर 60 दिवस में इसकी अपील आयुक्त नगर निगम जोधपुर उत्तर को की जा सकेगी।

**9. प्रतिबन्धित क्षेत्र :-**

**(अ)** ऐसे स्थान जहां पर रात्रिकालीन शिक्षण संस्थाये या अन्य इस प्रकार की संस्था चालू हो तथा विवाह स्थल की अनुमति दिये जाने पर शिक्षण कार्य में बाधा आती हो, वहां पर विवाह एवं समारोह स्थल की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

**(ब)** विवाह एवं समारोह स्थल हेतु अनुमति संचालित चिकित्सालय से 100 फीट की परिधि में प्रतिबन्धित होगी।

**(स)** राज्य सरकार दिए गए निर्देशों पर अथवा राज्य सरकार की पूर्वानुमति पर नगर निगम जोधपुर उत्तर द्वारा सुरक्षा व जन असुविधा का ध्यान रखते हए किसी भी क्षेत्र को प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है।

**10. विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) पंजीयन एवं अनुमति शुल्क :-**

**(अ)** विवाह एवं समारोह स्थल प्रोसेसिंग शुल्क 7500/- ।

**(ब)** विवाह एवं समारोह स्थल पंजीयन शुल्क 50000/- एक बारीय देय होगा ।

**(स)** विवाह एवं समारोह स्थल उपयोग का संचालन हेतु नवीनीकरण शुल्क प्रतिवर्ष नियमानुसार देय होगा।

$$\frac{\text{एरिया (वर्ग मीटर)} \times \text{डी. एल. सी. (वर्ग मीटर)}}{1000}$$

विवाह एवं समारोह स्थल उपयोग की नवीनीकरण/ संचालन शुल्क पूरे वित्तीय वर्ष हेतु देय होगी। चाहे उपरोक्त अनुज्ञा-पत्र वित्तीय वर्ष के किसी भी माह में जारी की गई हो।

उपरोक्त विवाह एवं समारोह स्थल पंजीयन शुल्क एवं विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) संचालन/नवीनीकरण शुल्क नगर निगम जोधपुर उत्तर को देय किसी भी अन्य शुल्क कर इत्यादि के अतिरिक्त होगी। नोट :- उपविधि 10 के खण्ड (अ) व (ब) के अन्तर्गत जमा करवायी गई प्रोसेसिंग की राशि नगर निगम जोधपुर उत्तर द्वारा आवेदनकर्ता को वापस नही लौटाई जावेगी।

**संचालन/नवीनीकरण:-**

**(क)** विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग व उपभोग) संचालन/नवीनीकरण शुल्क पूरे वित्तीय वर्ष के लिये देय होगा यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में समारोह स्थल स्थापित किया जाता है तो भी संचालनकर्ता द्वारा पूरे वर्ष का शुल्क देना अनिवार्य होगा।

**(ख)** 01 फरवरी से 31 मार्च की अवधि में नगर निगम जोधपुर उत्तर द्वारा स्वीकृत स्थलों द्वारा अग्रिम वितीय वर्ष हेतु देय शुल्क जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।

**(ग)** संचालन प्राप्तकर्ता द्वारा यदि उपरोक्तानुसार शुल्क जमा नही करवाया जाता है तो प्रथम तीन माह देय कुल शुल्क की राशि पर 10 प्रतिशत शास्ति एवं तत्पश्चात् दो प्रतिशत प्रतिमाह विलम्ब शुल्क के रूप में अतिरिक्त शास्ति के रूप में देय होगा।

**11. विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग व उपभोग) अनुज्ञा पत्र निम्न शर्तों के अध्यधीन होगा:-**

**(क)** अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा इसके चारों ओर सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रबंध किये जायेगे।

**(ख)** अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा इसके संबंध में आवश्यक हिदायतें व सूचनायें परिसर के बाहर बोर्ड लगाकर अंकित की जावेगी। सूचनाओं का निर्धारण एकरूपता के आधार पर नगर निगम जोधपुर उत्तर द्वारा निर्धारित प्रारुप में किया जावेगा।

**(ग)** ध्वनि प्रदूषण के संबंध में राज्य सरकार/जिला प्रशासन/नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी आदेशो/निर्देशों की पालना करनी होगी।

**(घ)** विवाह एवं समारोह स्थल पर एकत्रित कचरे के लिये नगर निगम जोधपुर उत्तर द्वारा निर्देशित नाम एवं डिजाइन का कचरा पात्र रखना होगा।

**(ड)** अग्निशमन से संबंधित उपकरण लगवाकर नगर निगम जोधपुर उत्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तो की पालना की जानी अनिवार्य होगी। विवाह व समारोह स्थल के संचालक को प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार नगर निगम जोधपुर उत्तर की अग्निशमन शाखा से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं अनापति प्रमाण प्रत्र प्राप्त होने के बाद संचालक द्वारा विवाह व समारोह स्थल में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता हैं तो उन्हे अग्निशमन शाखा से पुनः अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा नगर निगम जोधपुर उत्तर के प्राधिकृत अधिकारी या उनके प्रतिनिधि द्वारा विवाह व समारोह स्थल के आकस्मिक निरिक्षण के दौरान पुर्व में अग्निशमन शाखा के द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के समय के विवाह व समारोह स्थल में किसी भी प्रकार का बदलाव पाया जाता हैं तो उस विवाह व समारोह स्थल के अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र को स्वतः निरस्त माना जाकर विवाह व समारोह स्थल के अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं पूर्व में जमा किसी भी राशि को वापिस नहीं लौटाया जायेगा।

**(च)** नगर निगम जोधपुर उत्तर द्वारा विवाह एवं समारोह स्थल से कचरा उठाने का शुल्क निर्धारित किया जा 'सकेगा जो अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा देय होगा।

**(छ)** अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा आवेदन स्थल पर सुविधाजनक सुरक्षित पार्किंग स्थल स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध करवाना होगा। अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह एवं समारोह स्थल से अनुमोदित ले-आउट प्लान में इंगित शर्तो की पालना सुनिश्चित करते हुए विवाह एवं समारोह स्थल विकसित किया जाना अनिवार्य होगा।

**12. अभियोजन :-**

नगर निगम जोधपुर उत्तर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो उपायुक्त से कनिष्ठ पद का नही होगा, द्वारा विवाह एवं समारोह स्थल का निरीक्षण कर सकेगा। यदि उपयोग एवं उपभोग में निर्देशित शर्तो उपविधियों का उल्लघंन पाया जाता है तो प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया जा सकेगा। विवाह एवं समारोह स्थल सम्पति का नगर निगम जोधपुर

उत्तर उपविधियों के अन्तर्गत अटैचमेन्ट एवं सीज भी किया जा सकेगा तथा दोषी व्यक्ति, संस्था एवं कम्पनी के विरूद्ध अभियोजन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही भी प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ की जा सकेगी।

**13. समझौता :** -

न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को वापस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 में गठित समिति को होगा।

**14. उपविधियों का उल्लघंन :-**

इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन पाया जाने पर प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 10000/- रूपये का अर्थ दण्ड दिया जाकर उपविधि संख्या 12 के अन्तर्गत कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्तकर्ता के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी।

**15. अर्थदण्ड की राशि को स्थानीय कोष में जमा करवाना :-**

अर्थदण्ड की धनराशि अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर निगम कोष में जमा करवाई जाकर प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

**16. अवैध विवाह एवं समारोह स्थलों का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही :** -

यदि किसी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के नगर निगम जोधपुर उत्तर सीमा में विवाह एवं समारोह स्थल विद्यमान अथवा शुरू किया जाता है तो उसे नगर निगम जोधपुर उत्तर द्वारा अवैध मानकर सीज किया/हटाया जा सकेगा एवं अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।

**17. सार्वजनिक स्थानों के सामाजिक समारोह हेतु उपयोग पर रोक :-**

यह है कि स्थानीय क्षेत्र में स्थित विकास समिति एवं गृह निर्माण एवं मोहल्ला विकास समिति द्वारा जो स्थान सार्वजनिक पार्क हेतु छोडे गये है उनका उपयोग विवाह एवं समारोह स्थलों हेतु नही किया जावेगा, न ही उन्हे अनुज्ञा पत्र जारी किया जावेगा। उनका उपयोग जिस उद्देश्य हेतु रखा गया है उसी प्रकार में लिया जा सकेगा।

**18. सामुदायिक केन्द्रों/सार्वजनिक धर्मशालाओं के विवाह एवं समारोह स्थलों के उपयोग पर शुल्क राशि में छूट :-**

भारत सरकार/ राज्य सरकार के सरकारी/ अर्द्ध सरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा निर्मित किये गये विवाह एवं समारोह स्थलों जिनका संचालन नागरिक समितियों द्वारा किया जा रहा है, के अनुज्ञा शुल्क हेतु उपविधि 10 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 10(अ) के व बिन्दु संख्या 10(ब) की सम्पूर्ण राशि व बिन्दु संख्या 10(स) में निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि शुल्क के रूप में ली जा सकेगी, परन्तु ऐसे विवाह एवं समारोह स्थल, जिनका संचालन भारत सरकार/ राज्य सरकार के सरकारी/ अर्द्ध सरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा स्वयं के स्तर पर संचालन किया जा रहा है तो अनुज्ञा शुल्क हेतु उपविधि 10 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 10 (अ) व बिन्दु संख्या 10 (ब) की सम्पूर्ण राशि तथा बिन्दु संख्या 10 (स) में निर्धारित राशि का 25 प्रतिशत शुल्क के रूप में देना अनिवार्य होगा।

समाज के समस्त न्याति नोहरों, भवनों एवं बगेचियों जिनका संचालन समाज द्वारा किया जा रहा है तथा सामाजिक नोहरों/स्थलों में शादी समारोह का आयोजन किया जाता है तो इन सभी

नोहरों/स्थलों का विवाह एवं समारोह स्थल के रूप में अनुज्ञा शुल्क रूपये 10000/- एवं 2000/- रूपये प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराने होगे तथा आगामी वितीय वर्ष नवीनीकरण हेतु रूपये 10000/- शुल्क प्रति वर्ष देयं होगा। इन विवाह एवं समारोह स्थलों से प्रति समारोह सफाई शुल्क नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा।

**19. पार्किंग और यातायात सुनिश्चित करना : -**

अनुज्ञा प्राप्तकर्ता को पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर सुनिश्चित करनी होगी और स्थानीय पुलिस की अनुमति से सड़क के एक तरफ सिंगल लाईन पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। यातायात के संबंध में नगर निगम जोधपुर उत्तर एवं स्थानीय पुलिस द्वारा विवाह जुलूस को यातायात की सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित किया जा सकेगा। किसी क्षेत्र में सड़क विशेष पर विवाह जुलुस को अनुमति देने हेतु प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।

**20. विवाह एवं समारोह स्थलों की भूमि का अन्य उपयोग पर प्रतिबंध : -**

अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह एवं समारोह स्थल की अनुज्ञा प्राप्त होने के बाद अनुज्ञा पत्र एक-एक प्रति संबंधित पुलिस थाना व जिला कलेक्टर को देनी आवश्यक होगी। नगर निगम जोधपुर उत्तर द्वारा समाज के सामाजिक दायित्वों अनुज्ञा पत्र किसी भी प्रकार की भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति या अंगीकार नही माना जावेगा। अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा भविष्य में संबंधित स्थल का भू-उपयोग परिवर्तन चाहने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर संबंधित उपविधियों के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकेगा।

**21. नगर निगम जोधपुर उत्तर का सर्वाधिकार सुरक्षित** :-

विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति पत्र से भूमि/भवन के स्वामित्व का कोई अधिकार प्राप्त नही होगा। एवं इस अनुज्ञा को भू-उपयोग परिवर्तन एवं भवन निर्माण की अनुमति या अंगीकार नहीं माना जावेगा। नगर निगम जोधपुर उत्तर द्वारा विवाह एवं समारोह स्थल हेतु जारी अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् स्पष्ट आदेश जारी करते हुए निरस्त करने का अधिकार होगा। निरस्तीकरण पर नगर निगम जोधपुर उत्तर द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपुर्ति राशि देय नहीं होगी व पूर्व में निगम कोष में जमा राशि को लौटाया नहीं जावेगा ।

**22. वर्तमान में अवैध रूप से संचालित विवाह एवं समारोह स्थलों को विवाह एवं समारोह स्थल अनुज्ञा प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में :-**

नगर निगम जोधपुर उत्तर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निकाय के परिधीय क्षेत्रों में वर्तमान में संचालित विवाह एवं समारोह स्थलों एवं उपविधि 2 के खण्ड **(vii)** में वर्णित अन्य गतिविधियों हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थलों का सर्वेक्षण अधिसूचना जारी होने के 30 दिवस की अवधि में करवाया जाकर जोनवार सूची तैयार की जाकर उपविधि संख्या 10, 11, 12, 13 एवं 14 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

**23. निरसन और व्यावृत्तिया :-**

इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् पूर्व में जारी आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियों निरस्त समझी जावेगी लेकिन इस उपविधियों के प्रवर्तन में आने से पूर्व निरसित आदेश/ निर्देश/विज्ञप्तियों के तहत किया गया कोई कार्य उपविधियां प्रभावशील होने के कारण अवैध नही समझा जावेगा एवं इन उपविधियों के प्रभावी होने से पूर्व में संचालित/आवेदित विवाह एवं समारोह स्थल के संचालको तत्कालिन समय में प्रभावी उपविधियों के अन्तर्गत समस्त बकाया राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

**24. अनुज्ञा प्राप्तकर्ता से शपथ-पत्र प्राप्त किया गया :-**

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवाह एवं समारोह स्थल की स्वीकृति जारी करने से पूर्व अनुज्ञा प्राप्तकर्ता से 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशयल स्टाम्प पत्र पर इस आशय का शपथ-पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा इन उपविधियों में वर्णित समस्त दिशा-निर्देशों को अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावेगी व इन उपविधियों के प्रभावी होने से पूर्व में प्रभावी उपविधियों के अन्तर्गत समस्त बकाया राशि का भुगतान कर दिया जायेगा अन्यथा उसका उपयोग एवं उपभोग स्वतः निरस्त समझा जा सकेगा।

## कार्यालय नगर निगम जोधपुर उत्तर

### भाग-1

### प्रपत्र-क

विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र (नगर निगम जोधपुर उत्तर (विवाह एवं समारोह स्थल का पंजीयन) उपविधियों 2023 अन्तर्गत)

**श्रीमान प्राधिकृत अधिकारी**
**नगर निगम जोधपुर उत्तर**

**विषयः**- विवाह एवं समारोह स्थल हेतु नवीन अनुज्ञा प्रमाण-पत्र जारी करने/पूर्व में जारी अुनज्ञा पत्र का नवीनीकरण करने के संबंध में।

01. विवाह एवं समारोह स्थल का नामः----------
02. संचालक/मालिक/अधिकृत व्यक्ति का नामः----------
03. पता/दूरभाष नं (कार्यालय/निवास/मोबाईल):----------
04. फैक्स/ई-मेल का पताः----------
05. स्थान का पूर्ण विवरणः----------
---
---
---
06. विवाह एवं समारोह स्थल भूखण्ड/भवन) का: ----------
सम्पूर्ण (क्षेत्रफल बाहरी परिधिय क्षैत्र अनुसार)
07. यातायात/अन्य संबंधित विभाग का अनापति प्रमाण पत्रः----------
08. मकान मालिक/भूखण्ड की सहमति प्रमाण पत्र:----------
(जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित किया हो।)
09. भूखण्ड/भवन के स्वामित्व से संबंधित नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित दस्तावेजः----------
10. विवाह एवं समारोह स्थल का ले-आउट प्लान
(बिन्दु संख्या (4 (।।) प्रपत्र में दी गई शर्तो को सुनिश्चित करते हुए )
---
11. अन्य विवरणः----------

मैने नगर निगम जोधपुर उत्तर (विवाह एवं समारोह स्थल पंजीयन) उपविधि 2023 का अवलोकन/अध्ययन कर लिया हैं। मैं इन उपविधियों से आबद्ध रहूंगा। उक्त विवाह एवं समारोह स्थल का (उपयोग एवं उपभोग) अनुज्ञा पत्र जारी करने का कष्ट करें।

**आवेदक के हस्ताक्षर**

**कार्यालय नगर निगम जोधपुर उत्तर**

**भाग-2**

**प्रपत्र-ख**

नगर निगम जोधपुर उत्तर (विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र)

**चैक लिस्ट**

01. विवाह एवं समारोह स्थल का नामः----------

02. अनुज्ञा आवेदक का नाम एवं पताः----------
---
---
---

03. स्वामित्व संबंधित दस्तावेजः----------

04. विवाह एवं समारोह स्थल की भूमि का प्रकारः----------

**विवाह एवं समारोह स्थल का विवरणः-**

01. शौचालय व मुत्रालय का विवरण:----------
पुरूष
महिला

02. अग्निशमन विभाग की अनापति संलग्न हैं

03. यातायात विभाग की अनापति प्रमाण पत्रः----------

04. स्थल के सामने मुख्य सड़क की चोड़ाई:----------

05. पार्किंग की व्यवस्थाः----------

06. कचरा पात्र की व्यवस्था स्वयं का कचरा पात्र हैं ----------
जोधपुर नगर निगम से किराये पर लिया हैं ----------

07. जनरेटर रूम की व्यवस्थाः----------

08. स्थल पर प्रथम चिकित्सीय सुविधाः----------

09. गंदे पानी की निकासी व्यवस्थाः----------

10. वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधानः----------

11. नजदीक के अस्पताल से दूरीः----------

12. नजदीक फायर स्टेशन से दूरीः----------

13. नगरीय विकास कर का विवरण जमा रसीद की फोटो प्रतिः----------

14. अन्य विवरणः----------

**हस्ताक्षर अनुज्ञा आवेदक**

**कार्यालय नगर निगम जोधपुर उत्तर**

**नगर निगम जोधपुर उत्तर (विवाह एवं समारोह स्थल का पंजीयन) उपविधि 2023 अन्तर्गत**

**प्रपत्र-**

**ग**

**विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) हेतु अनुज्ञा पत्र**

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि आप द्वारा दिनांक ----------
--को नगर निगम जोधपुर उत्तर को विवाह एवं समारोह स्थल पंजीयन हेतु दिये गए आवेदन पर विवाह एवं समारोह स्थल उपयोग हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है: -

खाता संख्या: ---------- मूल पत्रावली संख्या :----------
अनुज्ञा संख्या : ---------- गत अनुज्ञा संख्या : ----------
दिनांक : ---------- दिनांक : ----------

1. अनुज्ञाकर्ता का नाम:----------
2. पिता का नाम:----------
3. मालिक का नाम व पता :----------
---
---
---
---
---
4. दूरभाष नं. (कार्यालय /निवास/मोबाईल):----------
5. विवाह एवं समारोह स्थल का नाम व पता:----------
---
---
---
---
---
6.जोन/क्षेत्र का नाम जिनके क्षेत्र में स्थापित होना है :----------
7. वार्ड नं. :----------
8. विवाह एवं समारोह स्थल के बारे में विवरण :----------
---
---
---
9. वितीय वर्ष :----------
10. आपको निर्देशित किया जाता है विवाह एवं समारोह स्थल का उपयोग नगर निगम जोधपुर उत्तर द्वारा

जारी उपरोक्त उपविधियों में वर्णित समस्त दिशा निर्देशों का अक्षरश: पालना किया जायेगा, अन्यथा इस उपयोग एवं उपभोग को स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

**(प्राधिकृत प्राधिकारी)**
**नगर निगम जोधपुर उत्तर**

संचालन एवं नवीनीकरण:-

1) वितीय वर्ष ..... के लिए संचालन/नवीनीकरण शुल्क रसीद सं..... दिनांक..... द्वारा जमा कराने पर नवीनीकरण किया गया।
2.
3.

**(प्राधिकृत प्राधिकारी)**
**नगर निगम जोधपुर उत्तर**

**आयुक्त**
**नगर निगम जोधपुर उत्तर**

**महापौर**
**नगर निगम जोधपुर उत्तर**

---

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**